भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3011

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

सीकर में जल निकासी व्यवस्था की स्थिति

3011. श्री अमरा रामः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभाग में स्वीकृति हेतु विचाराधीन सीकर नगर परिषद की जल निकासी प्रणाली की कार्य योजना का ब्यौरा क्या है और इसके कब तक स्वीकृत होने की संभावना है;

(ख) क्या शहर की नालियों से निकलने वाला जल और वर्षा जल नानी गाँव से बड़ाढर तक किसानों की फसलों को नष्ट कर देता है और राष्ट्रीय राजमार्गों पर जलभराव का कारण बनता है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विभाग द्वारा जनता की इन समस्याओं को कब तक हल करने का इरादा है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (ग) जल और स्वच्छता राज्य के विषय हैं तथा जल निकासी का प्रबंधन राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) /शहर/नगर स्तर पर शहरी विकास प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में आता है जो जल निकासी और सीवरेज प्रणाली के रख-रखाव के लिए ज़िम्मेदार हैं। इसके अलावा, संविधान की 12 वीं अनुसूची के अनुसार, शहरी नियोजन, शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/ शहरी विकास प्राधिकरणों का कार्य है। राज्य सरकारों के अंतर्गत यूएलबी/ शहरी विकास प्राधिकरण स्थानीय जरूरतों के अनुसार सर्वेक्षण करते हैं और जलनिकासी योजना तैयार करते हैं। भारत सरकार योजनाबद्ध उपायों/परामर्शिकाओं के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। सरकार राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करती है।

मंत्रालय, शहरों को 'आत्म-निर्भर' और 'जल-सुरक्षित' बनाने के लिए सभी यूएलबी/शहरों में अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) कार्यान्वित कर रहा है। देश भर के सभी सांविधिक कस्बों/शहरों में जलापूर्ति की सार्वभौमिक कवरेज प्रदान करना और 500

अमृत शहरों में सीवरेज और सेप्टेज प्रबन्धन करना अमृत 2.0 के मुख्य लक्ष्य हैं। अमृत 2.0 के तहत, जलाशयों और कुओं के पुनरुद्धार का कार्य राज्य द्वारा किया जा सकता है। इसके अंतर्गत स्वीकार्य घटकों में वर्षा जल को वर्षा जल निकासी नालियों के माध्यम से जलाशयों में एकत्रित करना (जिनमें सीवेज/अपशिष्ट पदार्थ नहीं मिलते हैं) शामिल हैं। मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर राज्यों को परियोजनाओं का चयन करने, उनका मूल्यांकन करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार है।

अमृत 2.0 के अंतर्गत, सीकर नगर परिषद में कुल 406.96 करोड़ रु. की कुल 06 परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं, जिनमें कुल 315.68 करोड़ रु. की 02 सीवर एवं सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएँ तथा कुल 11.11 करोड़ रु. की 03 जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएँ शामिल हैं।

राज्य सरकार ने सूचित किया है कि सीकर शहर में, मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, जयपुर द्वारा 354.60 करोड़ रु. की कुल लागत की वर्षा जल निकासी (मास्टर प्लान 2031 के अनुसार) और सीवेज शोधन संयंत्र (एसटीपी) से शोधित जल के निपटान के लिए एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। सीकर शहर में सभी एसटीपी (सीटीपी) से शोधित जल के पुन: उपयोग के लिए 80.47 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से एक विस्तृत रिपोर्ट भी तैयार की गई है। इसके अलावा राज्य बजट घोषणा (2025-26) के तहत, सीकर शहर में पिपराली चौक के आसपास, झुंझुंनु बाईपास के दोनों ओर, गोकुलपुरा, सांवली चौक के दोनों तरफ, धोद चौक और पालवास चौक के आसपास के क्षेत्रों के लिए सीकर नगर परिषद द्वारा 302.37 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सीवरेज कार्यों के लिए और 189 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से वर्षा जल निकासी कार्यों के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की गई है। डीपीआर राज्य वित्त विभाग को प्रस्तुत कर दी गई है।

राज्य सरकार ने यह भी बताया है कि सीकर नगर परिषद नानी ग्राम क्षेत्र में पानी के जलाशयों की खुदाई का काम कर रही है और जल भंडारण करने की क्षमता बढ़ाने और राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर निचले क्षेत्रों में अत्यधिक जल के बहाव को कम करने के लिए चौड़ीकरण का काम कर रही है। इसके अतिरिक्त, राजमार्ग के दोनों ओर स्थित गांवों की ओर जाने वाली सड़कों पर पाइप बिछाए गए हैं ताकि गांवों से आने-जाने वाले यातायात का सुचारू आवागमन सुनिश्चित किया जा सके। राजमार्ग और निचले इलाकों में जमा पानी को निकालने के लिए नगर परिषद टैंकरों और पंपों का भी उपयोग करती है ताकि यातायात सुचारू रूप से जारी रखा जा सके।

*****